

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय,
महानदी अवन, नवा दायपुर अटल नगर,
जिला-दायपुर (छ.ग.)

क्रमांक ३१६३ / एफ-७-९८/३१/एस-२/२०२४,
प्रति,

अटल नगर, दिनांक २३/०८/२०२४

मुख्य अभियंता,
मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना,
जल संसाधन विभाग,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :- रायगढ़ जिले के विकासखण्ड-खरसिया अंतर्गत खरसिया शाखा नहर के आर.डी. 24.60 कि.मी से 41.07 कि.मी तक नहर के डिजाईन प्रोफाईल हेतु मिट्टी कार्य तथा क्षतिग्रस्त सी.सी. लाईनिंग का मरम्मत कार्य एवं खरसिया शाखा नहर के ९ नग नहरों का मरम्मत कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।
संदर्भ :- प्रमुख अभियंता का पत्र क्र.-२८०४/बो.प्र./AA/T.S./मि.ह.बांगो/२०२४/५४६१, दि.०५.०७.२०२४.

—००—

राज्य शासन एतद् द्वारा रायगढ़ जिले के विकासखण्ड-खरसिया अंतर्गत खरसिया शाखा नहर के आर.डी. 24.60 कि.मी से 41.07 कि.मी तक नहर के डिजाईन प्रोफाईल हेतु मिट्टी कार्य तथा क्षतिग्रस्त सी.सी. लाईनिंग का मरम्मत कार्य एवं खरसिया शाखा नहर के ९ नग नहरों का मरम्मत कार्य हेतु लागत रु. २९७.७२ लाख (रुपये दो करोड़ सन्तानवे लाख बहत्तर हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. प्रस्तावित कार्यों के उपरान्त योजना की रूपांकित सिंचाई क्षेत्र ३६६६.२८ हेक्टेयर में ३६.१७ हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति सहित पूर्ण रूपांकित क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने के साथ ही बार-बार नहर टुटने से सिंचाई सुविधा बाधित नहीं होगी।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका २.००६ के नीचे दिये गये नोट ३(बी) एवं ३(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-१० के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट मांग संख्या-२३, लेखशीर्ष-४७००-वृहद सिंचाई पर पूँजी परिव्यय [०१]-हसदेव बांगो परियोजना, {८००}-अन्य व्यय, ०१०१, राज्य आयोजना (सामान्य), (२८९८)-बांध तथा संलग्न कार्य #२६-वृहद निर्माण कार्य, ००५ बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. छ.ग.शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय के वित्त निर्देश २५/२०१२ अनुसार गठित समिति की ७०वीं बैठक दिनांक ०२.०८.२०२४ द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(प्रेमसिंह राठोड़)


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

पृ.क्र. 3164 /एफ-7-98/31/एस-2/2024,
प्रतिलिपि :-

अटल नगर, दिनांक 23/08/2024

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
8. कलेक्टर, जिला—रायगढ़ (छ.ग.)।
9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर।
11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.—एम 4—22 अटल नगर।
12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर—अटल नगर।
13. अधीक्षण अभियंता, केलो परियोजना बांध निर्माण मंडल खरसिया, जिला—रायगढ़।
14. कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक—5, खरसिया, जिला—जांजगीर—चांपा।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
15. आदेश फोल्डर।


अकर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
~~जिल संसाधन विभाग~~
2018